परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी)

कार्यक्रम

के तहत

प्रस्ताव आह्वान

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड,

नई दिल्ली- 110 016

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि और समय: **30.07.2023, 5.00** अपराह्न

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
आर एंड डी अवसंरचना प्रभाग

****

<u>"परिष्कृत विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) कार्यक्रम - 2023"</u>

<u>(नेटवर्किंग और क्लस्टर उपगमन के माध्यम से)</u>

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) की स्कीम "परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (एस ए टी एच आई)" के तहत सहायता प्राप्ति विचारार्थ ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। साथी स्कीम का मुख्य लक्ष्य है: (क) अनुसंधान / परीक्षण / विनिर्माण / निर्माण के लिए आवश्यक उच्च परिणामप्रद उपकरण और अनुसंधान अवसंरचना (आरआई) / सुविधाओं का अर्जन और शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्टार्ट - अप्स, विनिर्माण इकाइयों, उद्योगों तथा आर एंड डी प्रयोगशालाओं की मांगों का बोधनकर सेवा प्रदाय, (ख) वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान अवसंरचना (आर आई) तक अभिगम और साझाकरण की सुविधा, (ग) वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का क्षमता वर्धन (घ) महंगी वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए उसके उपयोग की निगरानी और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का हिस्सा निर्माण ।

साथी का समावेशी उद्देश्य ऐसी सुविधा की सर्वोत्तम प्राचलन पद्धति को अपनाते हुए ज्ञान का उत्पादन/ सृजन करना, विषयगत क्षेत्रों में अंतरणात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना और बेहतर सामाजिक प्रसार हेतु उसे आगामी चरण में पहुंचाना है। मुख्य रूप से इसमें परीक्षण, डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, संकल्पना साक्ष्य, विनिर्माण, व्यवसाय योजनाकार के योजन, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, संबंधित इंजीनियरिंग उद्योगों और अनुसंधान एवं विकास से उद्योग तक के अग्र एवं पश्च संपर्क पर बल दिया जाएगा और स्थानीय और वैश्विक स्तर पर एक साथ, सभी स्तरों को शामिल करते हुए स्वदेशी उपस्थिति को बढ़ावा दिया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से, इसमें प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं के ऐसे राष्ट्रीय नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और सुनिश्चय किया जाएगा जो वैश्विक मानकों से मजबूती से जुड़ा हो। इसलिए प्रौद्योगिकी, परीक्षण, प्रमाणन और अनुपालन (टी2सी2) मॉडल जैसे फोकसित उपगमन के माध्यम से **साथी** की उच्च प्रभावकारिता से शिक्षा जगत के साथ-साथ उद्योग समूहों को बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय स्तर पर अनुदानग्राही एजेंसियों में नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए और अनुसंधान अवसंरचना (आर आई) की द्विरावृत्ति से बचने के लिए, **शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, एस एंड टी परिषदों और उद्योगों,** जो निकट में स्थित एक ही प्रक्षेत्र में हैं, के साथ कंसोर्टियम उपगमन मोड को डीएसटी की पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अनुसरित किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुदानग्राही एजेंसियों का समूह (**<u>कम से कम 5 संगठन या अधिक, जो एक समूह बनाते हैं</u>**) साथी सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। समूह बनाने के लिए प्रस्ताव करते समय अनुदानग्राही एजेंसियों में किसी एक अनुदानग्राही एजेंसी को प्रमुख संगठन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो एकल स्थान पर सभी उपकरणों की मेजबानी करेगा और इससे अन्य एजेंसियों को भागीदार संगठन के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। इससे न केवल एक समूह के भीतर परिष्कृत उपकरणों/आरआई का अतिरेकता कम होगी, बल्कि आरआई की अधिक समूह प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे पूरे समूह और उस क्षेत्र को इष्टतम स्तर पर लाभ होगा।

सहायता की प्रकृति : स्कीम में नेटवर्किंग/समूह रीति के जरिए इष्टतम राष्ट्र स्तरीय अवसंरचना सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्य रूप से, इसमें मेजबान और प्रयोक्ता संस्थानों / संगठनों (अन्य शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, स्टार्ट अप्स, विनिर्माण एवं इंजीनियरी उद्योगों, एस एम ई, आर एंड डी प्रयोगशालाओं / संगठनों सहित) के संकाय सदस्यों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों और छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावकारिता, अभिगम्यता और उच्चतम स्तरीय पारदर्शिता सहित **एक ही स्थान पर** साझाकृत, पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं और सुदृढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आरआई/ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि वे आर एंड डी कार्यकलापों के निष्पादन में सक्षम हो सकें। स्व- प्रतिपालनीय मॉडल की योजना को कार्यान्वित करते समय, साथी सुविधा केंद्र का इस्तेमाल आई- स्टेम पोर्टल (https://www.istem.gov.in/) के माध्यम से अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग और सभी के लिए अभिगम्यता के बुनियादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगा। साथी सुविधा केंद्र में निर्माण कार्य, त्वरित प्रोटोटाइपिंग, सामग्री परीक्षण, लक्षण वर्णन, नव उपकरण निर्माण, स्मार्ट विनिर्माण और लक्षण वर्णन सुविधाओं आदि के लिए समर्पित अनुभाग होंगे। यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम विश्राम अवधि के साथ अनवरत आधार को भी साथी कार्यकलापों के लिए अंगीकार किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत व्यष्टिगत संस्थान / संगठन / विभाग की आर एंड डी सहायता वाले प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के तहत अनुसंधान के तालमेल और फोकस को अधिमानी रूप से अनुसंधान के विषयगत क्षेत्रों के माध्यम से संदृश राष्ट्रीय मिशनों / प्राथमिकताओं से सुमेलित होना चाहिए।

अवधि : साथी परियोजना हेतु सहायता की अवधि **4 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होगी। पात्रता :** सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के शैक्षणिक संस्थान / डीएसआईआर से मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र / संगठन साथी के संरूप और जांच सूची में उल्लिखित अन्य मानदंडों को पूरा करते हुए क्लस्टर में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। विश्वविद्यालय / डिग्री प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों / डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्रों / संगठनों/ डीएसआईआर से मान्य निजी उद्योगों के लिए, उस क्षेत्र के लिए क्लस्टर उपगमन (राष्ट्रीय स्तर पर, यदि समर्थित हो) में सहायता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। डी एस टी के एस ए आई एफ / पर्स अनुदान की पिछली सहायता प्राप्त कर रहे सरकारी और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों / संगठनों को या तो साथी परियोजना में उन सुविधाओं का विलय करना होगा या साथी अनुदान को कार्यान्वित करने से पहले सैफ/पर्स अनुदान, यदि हाल ही में सिफारिश की गई है, को छोड़ना होगा। प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान गैर-लाभकारी स्थिति के तहत आने वाले निजी शैक्षणिक विश्वविद्यालय / संस्थान / संगठन पर शैक्षणिक संस्थान (निजी) विकल्प के रूप में विचार किया जाएगा।

साथी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए मानदंड : -

मेजबान संस्थान (संस्थानों)/ अनुसंधान एवं विकास केंद्र (केंद्रों) /संगठन (संगठनों), चाहे उनका दर्जा, सरकारी / गैर - सरकारी के रूप में, कोई भी हो, वित्त पोषण के पैटर्न और इसके तरीके को 75:25 के अनुपात में बनाए रखा जाएगा, अर्थात, डीएसटी का हिस्सा 75% होगा और सरकारी/गैर-सरकारी अनुदानग्राही संस्थान/अनुसंधान एवं विकास केंद्र के प्रबंधन को नेटवर्किंग और क्लस्टर उपगमन के माध्यम से परियोजना की कुल स्वीकृत लागत का 25% वहन करने की आवश्यकता होगी। 75:25 के अनुपात में, {डीएसटी का हिस्सा - 75% और चयनित क्लस्टर का हिस्सा-25%} साझाकरण मोड {अनुरूप निधीयन आधार} का लक्ष्य रखने पर डीएसटी के हिस्से की अधिकतम सीमा 60.0 करोड़ रू. होगी (आवर्ती + गैर आवर्ती दोनों सहित)। 25% का हिस्सा (कुल स्वीकृत राशि का) अनुदानग्राही

एजेंसियों और अन्य समूह संगठन (नों) द्वारा अपने स्वयं के आय स्रोतों से न कि भारत सरकार के अन्य विभाग या सीएफआई, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के तहत उपलब्ध धन के अपयोजन से, अंशदान करने की आवश्यकता है। अग्रणी संगठन को **एकल स्थलीय सुविधा प्रदाता** स्थिति में होना चाहिए और भागीदार संगठन, आवर्ती और गैर - आवर्ती दोनों शीर्षों सहित कुल स्वीकृत राशि का 25% साझा करने का लक्ष्य रखते हुए, अनुरूप निधि आधार पर साझाकरण मोड पर भाग ले सकता है।

सहायता का प्रकार : वर्तमान में**,** निम्नलिखित वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाएगी : -

(1) नेटवर्किंग और क्लस्टर उपगमन के माध्यम से राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सुस्थापित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एस एंड टी मेजबान संस्थान (संस्थानों)/आरएंडडी केंद्र (केंद्रों)/संगठन (संगठनों) से उनके सरकारी/गैर-सरकारी दर्जे पर ध्यान दिए बिना, प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। केवल अत्याधुनिक राष्ट्रीय सुविधा, अर्थात्, **साथी सुविधा केंद्र** प्राप्त करने हेतु डीएसटी से वित्त पोषण सहायता की अधिकतम सीमा 4 साल की अवधि के लिए 60.0 करोड़ रुपये (गैर-आवर्ती और आवर्ती अनुदान सहित) **(अन्य मानदंडों / दिशानिर्देशों / खंडों को समझने के लिए साथी के ~ 14 पृष्ठ के "निबंधन एवं शर्तें" दस्तावेज का अवलोकन करना चाहिए)** होगी। आवर्ती लागत गैर-आवर्ती शीर्ष की कुल लागत का ~07% से 10% होगी। अनुदानग्राही एजेंसी को सहायता प्रदान करने से पूर्व अलाभकारी धारा-8 कंपनी के साथ - साथ कंर्सोटियम पद्धति में शासी निकाय (जीबी) का गठन होना अनिवार्य है।

चयन : समकक्ष व्यक्ति समीक्षा तंत्र के माध्यम से और यदि आवश्यक हो तो**,** मौके पर दौरा करके मेजबान संस्थान/ विश्वविद्यालय/आरएंडडी संस्थान/केंद्र/संगठन का चयन किया जाएगा। यदि अपेक्षित हो तो**,** शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय संचालन समिति (एन एस सी) किसी क्षेत्र में साथी सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए किसी क्लस्टर के अंतिम चयन में डीएसटी की सहायता करेगी।

****

<u>ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अनुदेश (साथी)</u>

कृपया इस पोर्टल के "नई घोषणा" खंड अर्थात : https://onlinedst.gov.in/Login.aspx # के तहत ई-पीएमएस पोर्टल (www.onlinedst.gov.in) पर प्रकाशित प्रासंगिक विज्ञापन, का पूर्णतः अवलोकन करें।

<u>ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड किए जाने वाले **अनिवार्य दस्तावेज के लिए** ई-पीएमएस पोर्टल (www.onlinedst.gov.in) देखें :</u>

- विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/ संस्थान प्रमुख/ विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रत्येक संगठन के निदेशक, जो समूह उपगमन मोड में भाग ले रहे हैं, से समर्थन-पत्र (न्यूनतम *5* संगठन)।
- समूह उपगमन मोड में भागीदार प्रत्येक संगठन से "साथी" कार्यक्रम के निबंधनों और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति (न्यूनतम 5 संगठन)।
- क्लस्टर बनाते समय नेटवर्किंग के माध्यम से / अन्य संगठनों को शामिल करके साथी का परियोजना कार्यान्वयन समूह (पी आई जी)।
- संक्षिप्त साथी सहायता विवरण।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - हित संघर्ष नीति।
- (साथी) सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण की जांच-सूची ।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन 30 जुलाई 2023 (17.00 बजे तक) तक अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तदुपरांत वेब-लिंक स्वतः किसी भी उपयोग के लिए अक्षम हो जाएगा। किसी भी पूछताछ के लिए संपर्क अधिकारी: डॉ. प्रवाकर मोहंती; ईमेल आईडी: pravakar.mohanty@gov.in **से संपर्क करें ।**

(टिप्पणी:अंतिम दिवसीय व्यस्तता से बचने के लिए प्रस्ताव की ऑनलाइन प्रस्तुति का कार्य काफी समय पहले पूरा कर लें)

हार्ड कॉपी अपेक्षित नहीं है

कृपया नोट करें

साथी प्रस्ताव हेतु आह्वान में यथा निर्दिष्ट अनुसार, प्रत्येक सह-योजित संगठनों से टी एंड सी और अन्य दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रतियां एकत्र करने के बाद अग्रणी संगठन द्वारा केवल ऑनलाइन मोड (www.onlinedst.gov.in) के माध्यम से प्रस्तावों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

****